न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1220 / 2025

अनवान : –

1. चन्द्र प्रकाश चंदानी पुत्र हीरा लाल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र टीकम चंद जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर
3. दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. अमीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. जमीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जलालदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. नसीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लुहार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. पार्वती पत्नि रामेश्रर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
6. मलीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लुहार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. विजयशंकर पुत्र रामेश्रर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता सं. 52 / 54 के ख.न. 162 की 1.5940 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वादीगण ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है परन्तु प्रतिवादीगण से वादीगण का सीवं व लगान का झगड़ा रहता है। इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता सं. 52 / 54 के ख.न. 162 की 1.5940 हैक्टर भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया

उपखण्ड अधिकारी नोहर

जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता सं. 52/54 के ख.न. 162 की 1.5940 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1 चन्द्र प्रकाश चंदानी पुत्र हीरा लाल हि0 पूर्ण जाति सिन्धी सा0 नोहर खातदेार – ख0न0 162/1 की 0.506 हैक्ट
2 जितेन्द्र कुमार पुत्र टीकम चंद हि0 पूर्ण जाति सिन्धी सा0 नोहर खातेदार – ख0न0 162/2 की 0.6955 हैक्ट?
3 दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 असरजाना खातेदार ख0न0 162/3 की 0.3795 हैक्ट
4 अमीरूदीन हि0 26/130, जीमरूदीन हि0 26/130, जलालदीन हि0 25/130, नसीरूदीन हि0 25/130, मलीरूदीन हि0 25/130 पुत्रगण मामदीन जाति लुहार सा0 नोहर खातेदार, पार्वती पत्नी रामेश्वर हि0 21/130 जाति नाई सा0 नोहर, विजय शंकर पुत्र रामेश्वर हि0 1/130 जाति नाई सा0 देह खातेदार – ख0न0 162/4 की 0.013 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....27/05/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1220 / 2025

अनवान : –

1. चन्द्र प्रकाश चंदानी पुत्र हीरा लाल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र टीकम चंद जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर
3. दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. अमीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. जमीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जलालदीन पुत्र मामदीन जाति लूहार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. नसीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लुहार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. पार्वती पत्नि रामेश्रर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
6. मलीरूदीन पुत्र मामदीन जाति लुहार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. विजयशंकर पुत्र रामेश्रर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 2 सन 2018 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता सं. 52 / 54 के ख.न. 162 की 1.5940 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 चन्द्र प्रकाश चंदानी पुत्र हीरा लाल हि0 पूर्ण जाति सिन्धी सा0 नोहर खातदेार – ख0न0 162 / 1 की 0.506 हैक्ट

2 जितेन्द्र कुमार पुत्र टीकम चंद हि0 पूर्ण जाति सिन्धी सा0 नोहर खातेदार – ख0न0 162 / 2 की 0.6955 हैक्ट?

3 दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 असरजाना खातेदार ख0न0 162 / 3 की 0.3795 हैक्ट

4 अमीरूदीन हि0 26 / 130, जीमरूदीन हि0 26 / 130, जलालदीन हि0 25 / 130, नसीरूदीन हि0 25 / 130, मलीरूदीन हि0 25 / 130 पुत्रगण मामदीन जाति लुहार सा0 नोहर खातेदार, पार्वती पत्नी रामेश्वर हि0 21 / 130 जाति नाई सा0 नोहर, विजय शंकर पुत्र रामेश्वर हि0 1 / 130 जाति नाई सा0 देह खातेदार – ख0न0 162 / 4 की 0.013 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर